उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 980–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 24–23–पें0एवंआर0 / 2015, दिनांक : 06.06.2024

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / केस्को,
वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / कानपुर।

विषय : पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सख्या : 1201–पे0एवंआर0–28 / पाकालि / 16 दिनांक 16.12.2016, संख्या 379–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 17, दिनाक 28.04.2017 एवं संख्या : 147–पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 19, दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से पेंशनर्स को सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से वे पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, के द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि रू0 200 / – प्रतिमाह का भुगतान पेंशनर्स के बैंक खातों में सीधे अन्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि भविष्य में पेंशनर्स के चिकित्सा भत्ते को उनके विद्युत बिलों में समायोजित किये जाने के दृष्टिगत आर0एम0एस0 (बिलिंग प्रणाली) पर एक अन्य हेड (Head) के सृजन के साथ–साथ उसका समुचित लेखांकन (Accounting) सुनिश्चित करते हुए, चिकित्सा भत्ते को पेंशनर्स के विद्युत बिलों में समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में पेंशनर्स के विद्युत देय को ऑनलाइन जमा किये जाने की व्यवस्था प्रचलित होने के दृष्टिगत पेंशनर्स के विद्युत बिल / शुल्क को जमा कराये जाने तथा चिकित्सा भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

1. विदित है कि कारपोरेशन के अधिकांश पेंशनर्स को आवंटित विभागीय विद्युत संयोजन का आर0एम0एस0 (बिलिगं प्रणाली) पर लेजराइजेशन किया जा चुका है तथा पेंशनर्स द्वारा अपने विद्युत बिल का भुगतान आर0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी पेंशनर के विभागीय विद्युत संयोजन का लेजराइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका लेजराइजेशन आर0एम0एस0 (बिलिगं प्रणाली) पर तत्काल कराया जाये।
2. पेंशन इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख को पेंशनर्स द्वारा किये गये विद्युत बिल / शुल्क के भुगतान की पुष्टि आर0एम0एस0 (बिलिगं प्रणाली) पर करते हुए सम्बन्धित पेंशनर को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान ई0आर0पी0 प्रणाली के माध्यम से उसके बैंक खाते में कर दिया जाये।
3. उपरोक्त व्यवस्था / प्रक्रिया का सभी पेंशन इकाईयों द्वारा कड़ाई से नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.....2

<u>संख्या : 980–पें0एवं आर0–28/पाकालि0/24/तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. समस्त निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वान्चल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ/केस्को, कानपुर।

02. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त डिस्कॉम।

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)